समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला माल एवं सेस शाखा, मुंगेर।)
आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुंगेर जिलान्तर्गत अक्टूबर श्रेणी के निम्नलिखित सैरातों की बन्दोबस्ती वर्ष 2018 – 2019 के लिए अर्थात 01.11.2018 से 30.09.2019 के लिए खुली डाक द्वारा वार्षिक/अनुपातिक सुरक्षित जमा राशि पर अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 15.11.2018 को 11:00 बजे दिन में की जाएगी। निर्धारित तिथि को डाक नहीं होने पर अनुवर्त्ती तिथि 16.11.2018 एवं 17.11.2018 को डाक की जाएगी।

क्र0	अनुमंडल का नाम	सैरात का नाम	प्रस्तावित वार्षिक सुरक्षित जमा राशि	अनुपातिक सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि (10%) (Round Figure में)
1	2	3	4	5	6
1	तारापुर	संग्रामपुर हाट	10,32,873.00	9,46,800.00 (01.11.18 to 30.09.19)	94680.00

डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को निम्नांकित शर्त्तो का पालन करना होगा :–

1. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को डाक में भाग लेने के पूर्व वार्षिक/अनुपातिक सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत जमानत की राशि के रूप में जमा करना होगा। डाक में वैसे व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो पूर्व के बकायेदार नहीं हो। डाक के समय संबंधित अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त बकाया रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही डाक में भाग लेने हेतु सक्षम हो सकते हैं। सर्वोच्च डाक वक्ता को छोड़कर अन्य डाकवक्ता को डाक की जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी। सर्वोच्च डाकवक्ता की जमानत की राशि का समायोजन डाक की राशि में किया जायेगा।
2. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
3. डाक की समाप्ति पर उच्चतम डाकवक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा करनी होगी। यदि ऐसे डाकवक्ता डाक की बन्दोबस्ती लेने से इन्कार करेगें तो उसके द्वारा जमा की गई जमानत की राशि को जब्त कर ली जायेगी और द्वितीय डाकवक्ता की बोली की राशि को संतोषजनक पाये जाने पर उनके साथ उपरोक्त शर्तो के अधीन बन्दोबस्ती पर विचार किया जायेगा।
4. बिना कारण बताये डाक को स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
5. डाक सम्पन्न होने के साथ उच्चत्तम डाकवक्ता को नियमानुसार निबंधन शुल्क/स्टाम्प शुल्क एवं पेजिंग शुल्क डाक की राशि के अतिरिक्त जमा करना होगा एवं एकरारनामा करना होगा।
6. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्राथमिकता पर ग्राम पंचायत अथवा बहुधंधी सहयोग समिति के साथ सुरक्षित जमा राशि पर बन्दोबस्ती कर सकेंगे।
7. हाट की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा हाट की साफ–सफाई एवं पानी की सारी व्यवस्था हाट लेसी को ही अपने व्यय पर करना होगा और हाट में कोई राजनीति सभा नहीं की जायेगी।

8. बन्दोबस्ती लेने वाले व्यक्ति को डाक के बाद किसी प्रकार की छूट नही दी जायेगी। अन्य सभी शर्त्तों जो अधोहस्ताक्षरी के द्वारा तय किये जायेंगे का अक्षरशः पालन करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर उनके एकरारनामा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

9. विशेष जानकारी के लिए जिला माल सेस शाखा, मुंगेर से कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

10. इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त शर्त्तों के अधीन निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते है।

ह0/-
समाहर्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक................../मा0से0, दिनांक.........................

प्रतिलिपि :– निदेशक सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को आम सूचना की छः प्रति सि0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि निर्गत आम सूचना को दो दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में दो दिनों के अन्दर प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

ह0/-
समाहर्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक 52 /मा0से0, दिनांक 26/10/2018

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर/खड़गपुर एवं तारापुर/सभी अंचल अधिकारी, मुंगेर जिला/जिला नजारत पदाधिकारी, मुंगेर/ जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आइ0 सी0, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त आम सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं सुरक्षा प्रबंध हेतु प्रेषित।

समाहर्ता,
मुंगेर।